UPAD010073602026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
उपस्थितः– अभय प्रताप सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
J.O.CODE:– UP6315
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2733/2026

शाह मोहम्मद पुत्र सदलु
निवासी–बमरौली, थाना–पूरामुफ्ती, जनपद–प्रयागराज।
.....प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.....अभियोगी

मु.अ.सं.– 61/2026
धारा–85,103(1) बी.एन.एस.
थाना–पूरामुफ्ती, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक–16.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त शाह मोहम्मद की ओर से मु.अ.सं.–61/2026, धारा–85, 103(1) बी.एन.एस. थाना– पूरामुफ्ती, प्रयागराज के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के मो0 असलम द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा इमरान अली द्वारा दिनांक 24.05.2026 को थाना पूरामुफ्ती प्रयागराज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि वादी की बहन शबनम की शादी शाह मोहम्मद पुत्र सदलू निवासी बमरौली से 2016 में मुस्लिम रीत रिवाज के साथ हुयी थी। कुछ दिन सब ठीक–ठाक था। शादी के एक साल बाद वादी की बहन सबनम को आये दिन मारता पीटता था। बोलता था कि मुझे अपने व भाई से कह कर मुझे शहर में जमीन दिलवाओ तभी तुम्हें रख पाऊंगा। यही बात को लेकर कई बार आपस में समझौता हुआ पर आये दिन वादी की बहन को मारता पीटता था एवं घर से भगा देता था और बोलता था कि तुम्हारा नाजायज संबंध कमरूद्दीन से चल रहा है। यही बात को लेकर 23.05.2026 को आपस में लड़ाई हुई। वादी की बहन ने फोन करके वादी को शाम दिनांक 23.05.2026 को बताया। दिनांक 24.05.2026 को वादी के पास फोन आता है कि तुम्हारी बहन सबनम को उसके पति द्वारा गला दबाकर मार डाला गया है। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही घर से भाग कर आया हूँ। अतः निवेदन है कि मेरे बहनोई के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह इस मुकदमें में पहला

जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को अफवाहन जानकारी हुयी कि मृतका अवैध सम्बन्ध कमरूद्दीन के साथ चल रहा था। प्रार्थी ने मृतका को काफी समझाने का प्रयास किया कि अब हम दोनों का निकाह हो चुका है व ऐसे कृत्य से हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जायेगा, लेकिन मृतका नहीं मानी व कमरूद्दीन से बोलना बंद नहीं किया। प्रार्थी/अभियुक्त व मृतका के संसर्ग से दो बेटे पैदा हुये। कमरूद्दीन को जब यह बात पता चली कि प्रार्थी को उसके व मृतका के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया है तो वह प्रार्थी/अभियुक्त को अपने रास्ते से हटाने का षडयन्त्र बनाने लगी। प्रार्थी/अभियुक्त घटना वाले दिन घर पर नहीं था तथा उस दिन कमरूद्दीन प्रार्थी/अभियुक्त के घर आया व कमरूद्दीन व मृतका के बीच झगड़ा हुआ व कमरूद्दीन ने आवेश में आकर मृतका को मार डाला। शिकायतकर्ता ने शपथपत्र में पुलिस चौकी बमरौली द्वारा सूचना मिली कि तुम्हारी बहन मर गयी है, लाश पुलिस चौकी बमरौली में है, जबकि पंचायतनामा में इमरान अली का नाम लिखा, जिसने पहले थाने में शव मिलने की सूचना दी। जो संदेह पैरा करता है कि मृतका का शव सबसे पहले किसने देखी और थाने कैसे पहुँची। मृतका की मृत्यु उपरान्त पंचायतनामा दिनांक 24.05.2026 को पुलिस अधिकारियों द्वारा भरा गया व उसके बाद पोस्टमार्टम दिनांक 24.05.2026 को डाक्टरों द्वारा किया गया, जिसमें मृत्यु का कारण Asphyxia, Antemortem Throttling दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता का भाई इमरान अली, रूबीना (मृतका की भाभी)रफीकुन (मृतका की माता) ने अपना–अपना शपथपत्र थाना प्रभारी पूरामुफ्ती को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट गलत इल्जाम लगाकर लिखाये जाने के संबंध में प्रेषित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना वाले दिन घटनास्थल पर नहीं था न ही उसने घटना कारित किया है। प्रार्थी घटना वाले दिन काम काज के सिलसिले में बाहर गया था व सूचना पाकर लौटते समय पुलिस रास्ते में गिरफ्तार कर ली। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने शिकायतकर्ता को बढा–चढ़ा कर प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसा दिया, जबकि वह निर्दोष है। उसने किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की है। वह सीधा–साधा व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन करता है। उपरोक्त घटना का कोई भी स्वतंत्र या चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त मामले के अलावा आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनाँक 25.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी को दौरान विवेचना, विचारण तक उचित जमानत मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज के लिये बराबर प्रताड़ित किया जाता रहा है तथा उक्त दहेज की माँग को लेकर अपने घर में गला घोटकर उसकी हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी की बहन शबनम की शादी 2016 में मुस्लिम रिति रिवाज से होने के एक वर्ष पश्चात से शहर में जमीन दिलाने के लिये वादी की बहन सबनम को आये दिन मारने पीटने व घर से भगा देने व बहन का नाजायज सम्बन्ध कमरूद्दीन से होने की बात कहकर दिनाँक 23.05.2024 से 24.05.2026 के मध्य गला दबा कर मार दिये जाने का आक्षेप लगाया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0–1 में वादी मुकदमा इमरान अली ने पुलिस को दिये बयान में सबनम को उसके पति शाह मोहम्मद द्वारा गला दबा कर मार डालने संबंधी बयान देते हुये अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा सं0–2 में अवलोकन पोस्टमार्टम में काज आफ डेथ–"Asphyxia, Antemortem/ Postmortem Antemortem Throttling." अंकित है। केस डायरी के पर्चा सं0–4 में स्वतंत्र साक्षी अरसद अहमद एवं मेहनाज बानों तथा केस डायरी के पर्चा सं0–5 में साक्षी श्रीमती रफीकत एवं श्रीमती मेहनाज बानों ने पुलिस को दिये बयानों में शाह मोहम्मद द्वारा घटना की रात अपनी पत्नी मृतका की गला दबा कर हत्या किये जाने संबंधी साक्ष्य दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति के अपराध का आक्षेप है।

7. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, वाद के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बगैर, प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शाह मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2733/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–16.07.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
J.O.CODE– UP6315

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.07.16 15:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court